यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, डोईवाला, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल वकास परियोजना अ धकारी, डोईवाला, देहरादून के माह 04/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री वजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 17.08.2017 से 21.08.2017तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः डोईवाला क्षेत्र, नन्दा देवी कन्या योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण, THR/cooked food

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनरा श रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	283.49	271.87	627.29	615.61	-	23.30
2016-17	0	0	337.67	311.70	650.22	641.60	-	34.59
07/2017	0	0	254.80	47.69	55.50	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(धनरा श रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	बचत (-) `	अ धक्य (+)
2014-15	0	0	0	0	0	-
2015-16	0	0	283.49	271.86	11.63	-
2016-17	0	0	337.67	311.70	25.97	-
07/2017						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1- स चव, 2- निदेशक, 3- डी.पी.ओ., 4- सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में बाल वकास परियोजना अ धकारी, डोईवाला, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल वकास परियोजना अ धकारी, डोईवाला, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2017 एवं 01/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नंदा देवी कन्या धन योजना, वृद्ध महिला पोषण, RUTF, THR/Cooked Food. का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श को ध्यान में रखकर चयन कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- वर्ष 2015-16 में रू. 488.08 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 502.81 लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनांक 10.02.2016 तथा आई.सी.डी.एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांकः C-29-रिपोर्ट/14/2017-18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्दे शत कया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनरा श के व्यय होने के पश्चात संबं धत मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संक लत करते हुए बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय को प्रे षत कया जाना चाहिए।

बाल वकास परियोजना अ धकारी, डोईवाला के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2015-16 में आवंटित धनरा श रू. 90,42,850.00 के सापेक्ष रू. 89,82,750.00 का व्यय तथा रू. 60,100.00 का समर्पण कया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में आंवटित धनरा श रू. 1,20,79,350.00 के सापेक्ष रू. 1,18,48,200.00 का व्यय तथा रू. 2,31,150.00 का समर्पण कया गया था। इकाई द्वारा उक्त धनरा शयाँ (वर्ष 2015-16 में रू. 89,82,750.00 तथा वर्ष 2016-17 में रू. 1,18,48,200.00) आंगनबाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों के खातों में हस्तांतरित की गई थी। जिसके उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कये जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक उपभोग प्रमाण पत्र नहीं कए गए थे।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में रू. 400.00 लाख तथा वर्ष 2016-17 में 385.07 लाख की धनरा श आवंटित हुई थी। जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 में रू. 398.26 लाख तथा वर्ष 2016-17 में 384.33 लाख का व्यय कया गया था जिसके उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कये जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उपभोग प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त कर लए जाएगें तथा इस संबंध में सुपरवाइजर को निर्दे शत कया जा रहा है।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2015-16 में रू. 488.08 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 502.81 लाख की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- वभागीय उदासीनता के कारण नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत कुल 566 लाभा थयों को रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 84.90 लाख का भुगतान कया जाना लंबित रहना।

राज्य सहाय त्तत नंदा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओं ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को कया जाना है। योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप में रू. 15000/- की धनरा श तीन कश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम कश्त के रूप में 5000/- रू. की धनरा श चैक के माध्यम से कन्या के अ भभावक को प्रदान की जायेगी शेष रू. 10,000/- की F.D. बैंक में कन्या तथा उसके माता- पता के नाम से की जायेगी। कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर द् वतीय कश्त के रूप में पुनः रू. 5000/- की धनरा श हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनरा श की पुनः 8 वर्षो की अव ध के लए F.D. कर दी जायेगी। जिसे तृतीय कश्त के रूप में ब्याज सहित समस्त धनरा श लाभार्थी बा लका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने, हाईस्कूल में अध्ययनरत् होने तथा अ ववाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना की लेखापरीक्षा में पाया गया क इकाई के अंतर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल 1890 आवेदन कर्ताओं द्वारा आवेदन दिया गया था परंतु 1890 आवेदन कर्ताओं के सापेक्ष मात्र 1324 लाभा थयों को ही योजना का लाभ प्रदान कया गया था। इस प्रकार 566 आवेदन कर्ता इस योजना के लाभ से वं चत रहे। इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु कुल 84.90 लाख की धनरा श की आवश्यकता थी जो इकाई के पास उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क योजना की धनरा श प्राप्त न होने के कारण 566 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वं चत है, इनको शीघ्र ही लाभान्वित कया जायेगा। उक्त धनरा श की मांग निदेशालय से की जा रही है एवं इस संबंध में एक पत्र निदेशक को लखा जा रहा है।

इकाई का उत्तर स्वत ही लेखापरीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः वभागीय उदासीनता के कारण 566 लाभा थयों को रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 84.90 लाख की भुगतान लंबित रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का वvरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------------- शून्य ---------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल वकास परियोजना अ धकारी, डोईवाला, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव ध
(i)	श्रीमती उषा धस्माना	सी.डी.पी.ओ.	04/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति बाल वकास परियोजना अ धकारी, डोईवाला, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र